यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 09/2020

दायर दिनांक – 11.03.2020

निर्णय दिनांक – 02.10.2021

जीसीएमएस नं0 – 2020/00020

प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री काना पुत्र छोगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवनगर–बागोलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 2. श्री बन्ना पुत्र श्री छोगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवनगर–बागोलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1.श्री एस. के. चौधरी, अधि0, प्रार्थीगण
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:51 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम [illegible]नगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 318 के आधार खसरा नम्बरान 2422 रकबा

02.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

..300 हे0 में रिकॉर्डेड खातेदार किशना पुत्र काना, बरजी पत्नी काना एवं सायरी पत्नी घीसा के स्थान पर काना पुत्र छोगा एवं बन्ना पुत्र छोगा दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती के लिए प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पुष्कर से प्रकरण की जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 (तहसीलदार), पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पत्र क्रमांक/तह.पु./राजस्व कोर्ट/2020/1403 दिनांक 21.12.2020 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि " **ग्राम देवनगर के राजस्व रिकॉर्ड वर्किंग जमाबंदी खाता नंबर 19 वर्किंग खसरा नंबर 1824 मि. क्षेत्रफल 06–04–00 बीघा पर नामा0 सं0 155 स्वीकृत दिनांक 09.09.97 विक्रय से मु.बरजी बेवा काना, किशना वल्द काना, सायरी बेवा घीसा व देवाराम पि. घीसा 3/10 हि. नन्दा पि. काना, रामा पि. काना 2/10 हि. कौम गूजर सा देह शेष बदस्तूर के स्थान पर काना व बन्ना पि. छोगा जाति गूजर नि. देवनगर (बागोलाई) 3/10 हि. नन्दा पि. काना, रामा पि. काना 2/10 हि. कौम गूजर सा. देह शेष इन्द्राज बदस्तूर का नामान्तरकरण हुआ।**

भू–प्रबंध संक्रिया पश्चात् भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रदत्त राजस्व रिकॉर्ड मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्किंग खसरा नंबर 1824 मि. क्षेत्रफल 06–04–00 बीघा के हाल खसरा नंबर 2422 क्षेत्रफल 1.03 हैक्टेयर बने। मिसल बंदोबस्त के खाता संख्या 279 में खसरा नम्बर 2422 पर मु.बरजी बेवा काना किशना वल्द काना व सायरी बेवा घीसा काना बन्ना पि. छोगा कौम गूजर सा. बागोलाई 3/10 हि0 एवं अन्य खातेदारान की प्रविष्टि दर्ज है। इसमें मु. बरजी बेवा काना, किशना वल्द काना व सायरी बेवा घीसा का नाम पुनः दर्ज हो गया जबकि इसमें केवल काना, बन्ना पिता छोगा कौम गुजर सा. बागोलाई 3/10 हिस्सा का इन्द्राज होना चाहिए था। इस प्रकार मिसल बन्दोबस्त में खाते में अशुद्ध इन्द्राज दर्ज हुआ। इसके बाद आधार जमाबंदी संवत् 2065–84 के खाता संख्या 280 में थी। उक्तानुसार अशुद्ध इन्द्राज दर्ज है। आधार जमाबंदी के पश्चात् रोटेशन जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता सं0 318 में भी यही अशुद्ध प्रविष्टि निरन्तर जारी रही है। इसके पश्चात हाल सेग्रीगेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 318 में भी किशना पुत्र काना हि. 3/50, बरजी पत्नी काना हि. 3/50, सायरी पत्नी घीसा हि0 3/50, काना पुत्र छोगा हि. 3/50, बन्ना पुत्र छोगा हि. 3/50 अशुद्ध दर्ज है। शेष अन्य खातेदार सही दर्ज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:51 IST
Reason: SelfAttested

22.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

नामा0 सं0 155 स्वीकृत दिनांक 09.09.97 अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता सं0 318 में दर्ज किशना पुत्र काना हि. 3/50, बरजी पत्नी काना हि. 3/50, सायरी पत्नी घीसा 3/50 हि., काना पुत्र छोगा हि. 3/50, बन्ना पुत्र छोगा हि. 3/50 के स्थान पर काना पुत्र छोगा हि. 3/20, बन्ना पुत्र छोगा हि. 3/20 दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 318 के आधार खसरा नम्बरान 2422 रकबा 1.0300 है0 के सहखातेदार किशना पुत्र काना, बरजी पत्नी काना एवं सायरी पत्नी घीसा के स्थान पर काना पुत्र छोगा एवं बन्ना पुत्र छोगा इन्द्राज कर दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 318 के आधार खसरा नम्बरान 2422 रकबा 1.0300 है0 में सहखातेदार किशना पुत्र काना हि. 3/50, बरजी पत्नी काना हि. 3/50, सायरी पत्नी घीसा 3/50 हि., काना पुत्र छोगा हि. 3/50, बन्ना पुत्र छोगा हि. 3/50 के स्थान पर काना पुत्र छोगा हि. 3/20 जाति गुर्जर, बन्ना पुत्र छोगा हि. 3/20 जाति गुर्जर दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

02.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)